न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 52/2023 बउनवानी प्रताप सिंह राठौड बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीदार एवं उप पंजीयक खण्डार पुत्र श्री रामसिंह राठौड ग्राम व पोस्ट खण्डार तहसील खण्डार

GCMS No-2023/111

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिश्यिल जज
12.9.2023	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार एवं पदेन उप पंजीयक खण्डार की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 3.7.2023 को लोक सूचना अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार एवं पदेन उप पंजीयक खण्डार के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः– 1. राजेन्द्र सिंह राठोड प्रलेख लेखक (डीडराईटर) खण्डार के अनुज्ञा पत्र संख्या 4/2000 की दिनांक 1.1.2023 से दिनांक 31.12.2023 की अवधि के लिए नवीनीकरण वास्ते प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर उप पंजीयक खण्डार द्वारा की गयी अनुशंषा सहित प्रार्थना पत्रों की प्रमाणित नकल 2. राजेन्द्र सिंह राठोड प्रलेख लेखक (डीडराईटर) खण्डार के अनुज्ञा पत्र संख्या 4/2000 की प्रमाणित नकल आवेदक को सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत उपलब्ध करावे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार एवं पदेन उप पंजीयक खण्डार द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार एवं पदेन उप पंजीयक खण्डार को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार एवं पदेन उप पंजीयक खण्डार के जवाब नोटिस क्रमांक/पंजीयन/2023/157 दिनांक 11.9.2023 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 3.7.2023 के बिन्दु संख्या 1 व 2 मे चाही गयी सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार एवं पदेन उप पंजीयक खण्डार के पत्रांक/पंजीयन/2023/138 दिनांक 8.8.2023 से अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। अतःअपील खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया। पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 3.7.2023 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 व 2 में चाही गयी सूचना तहसीलदार एवं पदेन उप पंजीयक खण्डार के पत्रांक/पंजीयन/202[illegible] दिनांक 8.8.2023 से अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। लोक सूचना अधिक[illegible] के [illegible]ाब के अनुसार चाही गयी सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध हो चुकी है। ऐसी स्थिति में [illegible]ल अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] तामील दाखिल [illegible] अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (सुरेश कुमार ओला) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर Signature Not Verified Digitally signed by Suresh Kumar Ola Date: 2023.12.19 11:44:15 IST Reason: SelfAttested